

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		एवं सादर - दिनांक 30/3/22 को पेश हो। By	
	30/3/22	प्रसाहनिंग ऑफिसर वीरे/अकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 7/4/22 को पेश हो। By	
	7/4/22	प्रसाहनिंग ऑफिसर वीरे/अकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/5/22 को पेश हो। By	
	18/5/22	प्रसाहनिंग ऑफिसर वीरे/अकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/4/22 को पेश हो। By	
	25/4/22	प्रसाहनिंग ऑफिसर वीरे/अकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 29/4/22 को पेश हो। By	
	29/4/22	प्रसाहनिंग ऑफिसर वीरे/अकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 9/5/22 को पेश हो। By	
	9/5/22	प्रसाहनिंग ऑफिसर वीरे/अकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/5/22 को पेश हो। By	
	27/5/22	पत्रावली पेश - डूरी व नफर उपर / पुनः अक्षय सुनी पत्रावली व कुरिया का अवलोकन किया जाकर पारी का पार स्वीकार किया जाकर अग्रिम फाइल जारी हो। विद्यमान निलीय प्रयुक्त व लेखवाला जाकर आध मिठ किया जाकर पत्रावली के अलावा अग्रिम होकर नजी नम्वर से कम हो एवं पारित रूपतर हो।	

888 कलक  
समायक प्रेक  
पारा

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूं, जिला-जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा खेतान(R.A.S.)

## उनवान

बलजीत पुत्र महादेव जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ए-264 एवं ए-134 बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली।

-वादी-

## बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र महादेव
2. कन्हैयालाल पुत्र महादेव
3. गीता देवी पुत्री महादेव समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ए-132 बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली।
4. चिरंजीलाल पुत्र महादेव
5. प्रभूदयाल पुत्र महादेव
6. मोहनलाल पुत्र महादेव
7. अमरी देवी पुत्री महादेव समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ए-264 बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली।
8. भंवरलाल पुत्र साधूराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. रेणु पत्नी सुरेन्द्र कुमार बुनकर } समस्त जाति बलाई, निवासी जाहोता, तह0
10. नीतू पत्नी सुभाष बुनकर } आमेर, जिला जयपुर।
11. ईश्वर पुत्र झूथालाल
12. नारायण पुत्र झूथालाल
13. ओमशिव पुत्र झूथालाल
14. भगवान पुत्र झूथालाल
15. सुशीला देवी पुत्री झूथालाल
16. मीना देवी पुत्री झूथालाल
17. विनोद देवी पुत्री झूथालाल
18. शिवपाल पुत्र रामचन्द्र
19. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र
20. नन्धुराम पुत्र रामचन्द्र
21. बनवारी पुत्र रामचन्द्र
22. विदामी पुत्री रामचन्द्र
23. फूली पुत्री रामचन्द्र
24. विमला पुत्री रामचन्द्र
25. चौथी देवी पत्नी रामेश्वर
26. गिराजप्रसाद पुत्र रामेश्वर
27. मोहन पुत्र रामेश्वर
28. अनिल पुत्र रामेश्वर
29. अर्जुन पुत्र रामेश्वर
30. सुरेश पुत्र कालूराम

सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रैक)  
चौमूं, जयपुर

31. द्वारिकाप्रसाद पुत्र कालूराम
32. ओमदेवी पुत्री कालूराम
33. मंजूदेवी पुत्री कालूराम
34. भगवती देवी पत्नी कालूराम
35. रामलाल पुत्र रुघनाथ
36. रामदयाल पुत्र रुघनाथ
37. गोविन्द पुत्र रुघनाथ
38. सीताराम पुत्र रुघनाथ
39. सोहनलाल पुत्र रुघनाथ
40. सुनिता पुत्री रुघनाथ
41. उप पंजियक चौमूं जिला जयपुर।
42. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

**दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**  
**अ० धारा 53 व 188 रा.टि०एक्ट**

मुकदमा नम्बर :-148/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रुबरु सुश्री सीमा खेतान आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

1. अनिल, अर्जुन, गिराज प्रसाद, सोहन पिता रामेश्वर, चौथी देवी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 549/26315, ईश्वर, ओमप्रकाश, नारायण, शिवभगवान पिता झूथालाल, मिना देवी विनोद देवी सुशीला देवी पिता झूथालाल हिस्सा 878/26315 द्वारकाप्रसाद सुरेश पिता कालूराम ओमी देवी भगवती देवी मन्जू देवी पिता कालूराम हिस्सा 731/26315, गोविन्द रामदयाल, रामलाल सीताराम सोहनलाल पिता रुघनाथ सुनीता देवी पुत्री रुघनाथ हिस्सा 4385/26315 नन्छू बनवारी बाबूलाल शिवपाल पिता रामचन्द्र फूली देवी बिदामी देवी विमला देवी पिता रामचन्द्र हिस्सा 3838/26315 जाति बलाई सा० देह खातेदार नीतू पत्नी सुभाष हिस्सा 4385/26315 रेणु पत्नी सुरेश हिस्सा 4385/26315 जाति बलाई सा० जाहोता तह० आमेर भंवरलाल पुत्र साधूराम हिस्सा 7164/26315 जाति रैगर सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 177 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180/3358 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181/3 रकबा 0.9015 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/3401 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.6315 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. चिरंजीलाल बलजीत प्रभूदयाल मोहनलाल पिता महादेव अमरी देवी पुत्री महादेव जाति बलाई सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 181/1 रकबा 0.2741 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2741 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. कल्याणसहाय कन्हैयालाल पिता महादेव गीता देवी पुत्री महादेव जाति बलाई सा० देह खातेदार का खसरा नम्बर 181/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

४४९  
सहायक कलकरी  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमूं (जयपुर)

निजी ..... मबलिक ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .....

..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

भारत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 27.05.2022 को जारी किया गया ।

मोहर

882  
दस्तख्त सहायक कलकत्ता  
ओहदा..... (फास्ट ट्रेक)  
चौधूरी (जयपुरा)

### वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक		जोड़	1
जोड़	3		

882  
सहायक कलकत्ता  
(फास्ट ट्रेक)  
चौधूरी (जयपुरा)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूं, जिला जयपुर  
पीठासीन अधिकारी :- सुश्री सीमा खेतान (R.A.S.)

क्रमा नं० :- 148/2016

उनवान

बलजीत पुत्र महादेव जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ए-264 एवं ए-134 बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली।

-वादी-

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र महादेव
2. कन्हैयालाल पुत्र महादेव
3. गीता देवी पुत्री महादेव  
समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ए-132 बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली।
4. चिरंजीलाल पुत्र महादेव
5. प्रभूदयाल पुत्र महादेव
6. मोहनलाल पुत्र महादेव
7. अमरी देवी पुत्री महादेव  
समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर हाल निवासी ए-264 बुद्ध नगर, इन्द्रपुरी, नई दिल्ली।
8. भंवरलाल पुत्र साधूराम, जाति रैगर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. रेणु पत्नी सुरेन्द्र कुमार बुनकर } समस्त जाति बलाई, निवासी जाहोता, तह0
10. नीतू पत्नी सुभाष बुनकर } आमेर, जिला जयपुर।
11. ईश्वर पुत्र झूंथालाल
12. नारायण पुत्र झूंथालाल
13. ओमशिव पुत्र झूंथालाल
14. भगवान पुत्र झूंथालाल
15. सुशीला देवी पुत्री झूंथालाल
16. मीना देवी पुत्री झूंथालाल
17. विनोद देवी पुत्री झूंथालाल
18. शिवपाल पुत्र रामचन्द्र
19. बाबूलाल पुत्र रामचन्द्र
20. नन्चुराम पुत्र रामचन्द्र
21. बनवारी पुत्र रामचन्द्र
22. बिदामी पुत्री रामचन्द्र
23. फूली पुत्री रामचन्द्र
24. विमला पुत्री रामचन्द्र
25. चौथी देवी पत्नी रामेश्वर
26. गिराजप्रसाद पुत्र रामेश्वर
27. मोहन पुत्र रामेश्वर
28. अनिल पुत्र रामेश्वर
29. अर्जुन पुत्र रामेश्वर
30. सुरेश पुत्र कालूराम
31. द्वारिकाप्रसाद पुत्र कालूराम
32. ओमदेवी पुत्री कालूराम

888  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक)  
चौमूं, (जयपुर)

33. मंजूदेवी पुत्री कालूराम
34. भगवती देवी पत्नी कालूराम
35. रामलाल पुत्र रुघनाथ
36. रामदयाल पुत्र रुघनाथ
37. गोविन्द पुत्र रुघनाथ
38. सीताराम पुत्र रुघनाथ
39. सोहनलाल पुत्र रुघनाथ
40. सुनिता पुत्री रुघनाथ
41. उप पंजियक चौमूं जिला जयपुर।
42. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

## दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अ० धारा 53 व 188 रा.टि०एक्ट

### निर्णय

दिनांक:—27.05.2022


पत्रावली पेश हुई, वकील वादी एवं प्रतिवादी उपस्थित। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2021 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री कि जाकर तहसीलदार चौमूं को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमूं से कुर्रैजात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं जिस पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वाद पत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है व अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रैजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है। जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 31.01.2022 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 177 रकबा 0.27 है०, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.34 है०, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.37 है०, खसरा नम्बर 180/3358 रकबा 0.01 है०, खसरा नम्बर 181 रकबा 1.34 है०, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.46 है०, खसरा नम्बर 187/3401 रकबा 0.08 है० कुल किता 8 का कुल रकबा 3.07 है० भूमि वाके ग्राम ईटावा—भोपजी, पटवार हल्का ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है।

1. अनिल, अर्जुन, गिराज प्रसाद, सोहन पिता रामेश्वर, चौथी देवी पत्नी रामेश्वर हिस्सा 549/26315, ईश्वर, ओमप्रकाश, नारायण, शिवभगवान पिता झूथालाल, मिना देवी विनोद देवी सुशीला देवी पिता झूथालाल हिस्सा 878/26315 द्वारकाप्रसाद सुरेश पिता कालूराम ओमी देवी भगवती देवी मन्जू देवी पिता कालूराम हिस्सा 731/26315, गोविन्द रामदयाल, रामलाल सीताराम सोहनलाल पिता रुघनाथ सुनीता देवी पुत्री रुघनाथ हिस्सा 4385/26315 नन्चू बनवारी बाबूलाल शिवपाल पिता रामचन्द्र फूली देवी बिदामी देवी विमला देवी पिता रामचन्द्र हिस्सा 3838/26315 जाति बलाई सा० देह खातेदार नीतू पत्नी सुभाष हिस्सा 4385/26315 रेणु पत्नी सुरेश हिस्सा 4385/26315 जाति बलाई सा० जाहोता तह० आमेर भंवरलाल पुत्र साधूराम हिस्सा 7164/26315 जाति रैगर सा० देह खातेदार को खसरा नम्बर 177 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180/3358 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 181/3 रकबा 0.9015 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 186 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 187/3401 रकबा 0.08 हैक्टेयर कुल किता 8 का कुल रकबा 2.6315 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

88  
सहायक कल्लक  
(फास्ट ट्रेक)  
चौमूं (जयपुर)

2. चिरंजीलाल बलजीत प्रभूदयाल मोहनलाल पिता महादेव अमरी देवी पुत्री महादेव जाति बलाई सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 181/1 रकबा 0.2741 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.2741 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. कल्याणसहाय कन्हैयालाल पिता महादेव गीता देवी पुत्री महादेव जाति बलाई सा0 देह खातेदार का खसरा नम्बर 181/2 रकबा 0.1644 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1644 हैक्टेयर भूमि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

उक्तानुसार पर्चा लगान अलग अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 27.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
(फा0 ट्रे0/मुख्यालय) चौमूँ